दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/रिक्रुटमेन्ट/ 30/2906 दिनांक:-14.08.2019

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 208/2019

विषय:-Re-engagement of retired employees in exigencies of services.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 Pt. 1 दिनांक 24.07.2019, RBE No. 118/2019 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1	Letter dated 27.09.2012 (RBE No. 109/201`2)	167/2012
2	Letter dated 16.10.2017	202/2017
3	Letter dated 12.12.2017	252/2017
4	Letter dated 27.03.2019	98/2019

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

14-8-19
(हफिज मौहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

E/R No.- 208/2019

P/1

RBE No 118 /2019

No. E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 Pt.I **New Delhi, dated 24 .07.2019**

The General Manager (P)
All Indian Railways/PUs

Sub: Re-engagement of retired employees in exigencies of services.

Ref: i) Board's letter No. E(NG)II/2010/RC-4/6 dated 27.09.2012 (RBE No. 109/2012. 167/12

ii) Board's letters No. E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 dated 16.10.2017, E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 dated 12.12.2017, E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 dated 27.03.2019 202/17 252/17 98/19

*****

Attention is invited to Railway Board's letters referred to on the above subject. Railways/Units have raised the point that the issue of providing leave to retired railway employees who have been re-engaged on contractual arrangements has not been spelt out in Boards letters referred to above.

2. The matter has been examined in Boards office. It has been observed that vide their OM F.No.A-12034/11/2018-Admn.I dated 30.11.2018, the M/o Labour & Employment has issued comprehensive guidelines regarding engagement of retired Government officers/ officials as Consultants. These provide for 08 days leave in a year to such retired officials engaged on contract basis. It has been decided to adopt the same with reference to retired Railway employees re-engaged on contractual basis in terms of Railway Board letters ibid.

3. Accordingly, it is clarified that 08 days leave (on prorata basis) in a calendar year will be admissible to retired Railway employees re-engaged on contractual arrangements in terms of Boards letters ibid.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate.

(M.M.Rai)
Joint Director Estt. (N)II
Railway Board

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड
Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी
Issue with Enclosure
हस्ताक्षर
Signature............
जारी की तिथि
Date of Issue............

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)
*****

आरबीई नं. 118/2019

सं. ई(एनजी)-II/2007/आरसी-4/कोर/1 पार्ट.I

नई दिल्ली, दिनांक: 24/07/2019

महाप्रबंधक (पी),
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: तात्कालिक सेवाओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करना।

संदर्भ: i) बोर्ड का दिनांक 27.09.2012 का पत्र सं. ई(एनजी)/2010/आरसी-4/6 (आरबीई नं. 109/2012)

ii) बोर्ड के दिनांक 16.10.2017 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1, दिनांक 12.12.2017 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1 और दिनांक 27.03.2019 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2007/आरसी-4/कोर/1

******

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्रों की ओर आकृष्ट किया जाता है। रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्रों में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों, जिन्हें संविदात्मक रूप से नियुक्त किया गया है, को छुट्टी प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है। यह देखा गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 30.11.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12034/11/2018-एडमिन.I के तहत परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसमें संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए ऐसे सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को वर्ष में 08 दिन की छुट्टी का उल्लेख किया गया है। रेलवे बोर्ड के पूर्वोक्त पत्रों के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के संदर्भ में इसे अपनाने का विनिश्चय किया गया है।

3. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के पूर्वोक्त पत्रों के अनुसार संविदात्मक व्यवस्था पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 08 दिनों की छुट्टी (यथानुपात आधार पर) अनुमेय होगी।

4. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एम. एम. राय)
संयुक्त निदेशक स्थापना (एन)-II
रेलवे बोर्ड

RE-ENGAGEMENT

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड
Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी
Issue with Enclosure
हस्ताक्षर
Signature........
जारी की तिथि
Date of Issue........